न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 65/20 **निर्णय दिनांकः–** 22-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2020/00078)

1. हनुमानाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी मिगसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 14–11–2019
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थित–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ आदेश दिनांक 14–11–2019 जिसके द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व एकतरफा तौर पर डिक्री पारित करते हुए खातेदारी कृषि भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके रोही मिगसरिया तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 2 ए भूमि अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि चली आ रही थी अपील के पिता धनाराम की मृत्यु दिनांक 08–05–2013 को होने पर स्टेट तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा वर्ष 2018 में मृतक व्यक्ति के विरूद्व दावा प्रस्तुत करते हुए बिना नोटिस तामील करवाये अपीलांट के पिता के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। चूंकि अपीलांट के पिता की मृत्यु वर्ष 2013 में ही हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील एक मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया आदेश है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि धन्नाराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके जायज वारिसान अपीलांट व उनकी पुत्री मूली देवी का पुत्र कानाराम रहा है। जिनके नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया। उसके उपरान्त कानाराम द्वारा जरिये रिलिज डीड अपना हक अपीलांट के पक्ष में छोड़ने के बाद वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक को अपीलांट वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। उक्त तथ्य तमाम राजस्व रिकार्ड से साबित है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार स्थापित किये बिना एक मृतक व्यक्ति के विरूद्व एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। जबकि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अपीलांट् द्वारा उनके धारण की भूमि पर कभी भी अनाधिकृत रूप से गैरकृषि कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ के समक्ष तहसीलदार राजस्व श्रीडूँगरगढ़ ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 व 177 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/अपीलांट के पिता को दिनांक 30–08–2018 को नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस की पुश्त पर नोटिस की प्रति उनके पोते रामनारायण को दिये जाने की रिपोर्ट अंकित है। उक्त नोटिस के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पिता को आगामी एक वर्ष तक किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रतिवादी धन्नाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित है कि प्रतिवादी अर्थात अपीलांट के पिता धन्नाराम की मृत्यु दिनांक 08–05–2013 को हो चुका था तथा प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष वर्ष 2018 में मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना, बिना नोटिस तामील के प्रतिवादी (मृतक)के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–11–2019 को स्टेट के प्रार्थना पत्र पर टावर निर्माण मानते हुए एक मरे हुए व्यक्ति के विरुद्व डिक्री पारित कर दी जो प्रारम्भ से नलटी की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। लिहाजा अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना हम उचित नहीं पाते है तथा अपीलांट की अपील उपरोक्त तकनीकी बिन्दु अर्थात अदालत मातहत द्वारा एक मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किये जाने के बिन्दु पर निस्तारित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 14–11–2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपना कर प्रकरण का निस्तारण करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22-2-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 12:19:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर